

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)  
पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 95/2024/सरफैसी

आई.सी.आई.सी.आई बैंक, शाखा-फतहनगर, तहसील मावली, जिला-उदयपुर

.....प्रार्थी

**बनाम**

1. जय मेवाड ट्रांसपोर्ट कम्पनी जरिये प्रोपराइटर श्री शिवसिंह राणावत पुत्र श्री मनोहरसिंह राणावत निवासी- शॉप 13, चितोड़ हाइवे रोड, सनवाड, फतहनगर-313205 तहसील मावली, जिला-उदयपुर
2. श्री शक्तिसिंह राणावत पुत्र श्री शिवसिंह राणावत निवासी खसरा न. 4937, वार्ड न. 20, प्लॉट नं. ए व बी ग्राम-सनवाड रावला कुआँ, नया बंगला, फतहनगर-313205, मावली।
3. श्री भगवतसिंह राणावत पुत्र श्री शिवसिंह राणावत निवासी-184, ग्राम फतहनगर बासानी कला, फतहनगर 313205, उदयपुर
4. श्रीमती जान कुंवर पत्नी श्री शिवसिंह राणावत निवासी-खसरा न. 4937, वार्ड न. 20, प्लॉट नं. ए व बी ग्राम-सनवाड रावला कुआँ, नया बंगला, फतहनगर-313205, मावली।
5. श्री शिवसिंह राणावत पुत्र श्री मनोहरसिंह राणावत, निवासी-शॉप न. 13 चितोड़ हाइवे रोड, सनवाड, फतहनगर-313205, तहसील-मावली, उदयपुर।

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

**प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**



उपस्थित: श्री अशोक टांक अधिवक्ता प्रार्थी

**आदेश**

दिनांक 23-09-24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 41,50,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (आवासीय भूखण्ड नम्बर ए एण्ड बी पर निर्मित मकान राजस्व ग्राम सनवाड, आराजी न. 4937 रावला कुआँ, नया बंगला, सनवाड, फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर में स्थित है जिसकी नपती 65 फीट 4 इंच बाई 27 फीट 07 इंच कुल क्षेत्रफल 3658.5 वर्गफीट (408.55 वर्ग गज) है, जिसका पडोस पूर्व में- कामन लैण्ड, पश्चिम में- रास्ता, उत्तर में- कॉमन रास्ता एवं मकान, दक्षिण में- मकान अमरसिंह) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा

(8)  
जिला कलक्टर  
उदयपुर

ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 41,50,000/-रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 30.11.2023 तक 46,03,923/- रूपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यों के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (आवासीय भूखण्ड नम्बर ए एण्ड बी पर निर्मित मकान राजस्व ग्राम सनवाड, आराजी न. 4937 रावला कुआँ, नया बंगला, सनवाड, फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर में स्थित है जिसकी नपती 65 फीट 4 इंच बाई 27 फीट 07 इंच कुल क्षेत्रफल 3658.5 वर्गफीट (406.55 वर्ग गज) है, जिसका पडौस पूर्व में- कामन लैण्ड, पश्चिम में- रास्ता, उत्तर में- कॉमन रास्ता एवं मकान, दक्षिण में- मकान अमरसिह) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ़्तर हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल )  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
उदयपुर